उलझी हुई नीति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

03 जनवरी, 2022

टेक्सटाइल पर कर वृद्धि का अस्थायी रोलबैक जीएसटी शासन के समक्ष चुनौतियों का संकेतक है।

नए साल की पूर्व संध्या पर, रेडीमेड कपड़ों और अन्य कपड़ों के लिए 12% की जो नई जीएसटी दर लागू होने वाली थी, उसके नौ घंटे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अभी बढोत्तरी नही होगी और मौजूदा 5% की दर 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी रहेगी।

जीएसटी परिषद की एक आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसने शुल्क ढांचे की विसंगति को ठीक करने के लिए सितंबर 2021 में अपनी पिछली बैठक में वस्त्रों पर उच्च कर को मंजूरी दी थी।

जबकि मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर 18% है और उसी से बने यार्न पर 12% कर लगता है, अंतिम तिमाही तक कपड़े पर दर जीएसटी 5% थी, जो जाहिर तौर पर कपड़ा उत्पादकों के लिए सिरदर्द पैदा कर रही थी, जिसे परिषद से बढ़ाने की मांग की गयी थी। 5% की दर को बढ़ाकर 12% करने का कदम तथा साथ ही 1,000 रुपये प्रति जोड़ी से कम कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी दर में बदलाव एक साल से अधिक समय से परिषद के एजेंडे में था, लेकिन घरों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसे रोक कर रखा गया था।

1 जनवरी से प्रभावी होने वाली दरों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए पुनर्विचार की व्याख्या करते हुए, वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि मूल निर्णय कई बातचीत के बाद आया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव का पता लगाया गया था। फिर भी, गुजरात की वित्त मंत्री की ओर से उन्हें 29 दिसंबर को उद्योगों के प्रतिनिधित्व के साथ एक पत्र मिला, जिसकी समीक्षा की गई।

यद्यपि दर वृद्धि का उद्देश्य उत्पादकों को इनपुट पर भुगतान किए गए करों के लिए आसान क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करना था, लेकिन ऐसा हुआ नही क्योंकि इस कदम को दूसरे ढंग से देखा गया वह भी एक ऐसे उद्योग में जो ऐतिहासिक रूप से भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक रहा है और समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग 2% योगदान देता है।

पिछले महीने, कपड़ा उद्योग में कई मशीनों को एक दिन के लिए निष्क्रिय छोड़ दिया गया था, जो कि इस क्षेत्र में पिछली बार 1980 के दशक में श्रमिक संघों द्वारा की गई हड़ताल के बाद। दूसरी हड़ताल के रूप में हो सकती थी।

दर के अतार्किक होने को लेकर हुए विरोधों के साथ-साथ केंद्र को कुछ राज्यों के द्वारा स्पष्ट संदेश था जिसमे उनके द्वारा महत्वपूर्ण कारखाने बंद होने और नौकरी के नुकसान की चेतावनी देने के बाद भी केंद्र पर कोई दबाव कायम करने में विफल रहे थे और उद्योगों ने खुद नई दरों के मुद्दे पर सरेंडर कर दिया था।

शायद, यह आकस्मिक था कि अधिकांश राज्यों के वित्त मंत्री, जो परिषद के सदस्य हैं, 2022-23 के केंद्रीय बजट पर परामर्श के लिए राजधानी में पहले से ही अपेक्षित थे। एक मंत्रिस्तरीय समूह को पहले से ही उत्पादों में शुल्क संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाने और जीएसटी शासन के कई दर स्लैब की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

अब उन्हें कपड़ा उत्पादों के लिए एक उपयुक्त संरचना का सुझाव देने के लिए अतिरिक्त कार्य सौंप दिया गया है। उनके पास अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बस दो महीने और हैं। अब यह संभावना नहीं है कि आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के समाप्त होने से पहले ये व्यापक सुधार होंगे और इस समय का उपयोग नई दरों में बदलाव करने और इस तरह के विरोध से बचने से पहले उद्योग, उपभोक्ताओं और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के लिए किया जा सकता है।

यदि भारत निजी निवेश को पुनर्जीवित करने की आशा करता है, तो दरों में सुधार को अधिक चतुराई से और अधिक उद्देश्य के साथ नेविगेट करने की आवश्यकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत मे वर्तमान में रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी दर कितनी है?

(क) 12%

(ख) 5%

(ग) 8%

(घ) 18%

Expected Question (Prelims Exams)

Q. What is the present GST rate on readymade garments in India?

(a) 12%

(b) 5%

(c) 8%

(d) 18%

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आपके अनुसार भारत मे जीएसटी दरों का निर्धारण गैर-तार्किक ढंग से किया गया है? टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Do you think the determination of GST rates in India has been done in an illogical manner? Analyze the statement with special reference to the textile sector. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।